



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 82-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2015

दिनांक: 30 जून, 2015

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ताओं (वै0 एवं यां0) को अधीक्षण अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं0-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित निगम/स्थान को स्थानान्तरित कर तैनात/आबण्टित किया जाता है। उक्त अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधीक्षण अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर नियुक्त होंगे:-

क्र0 सं0	नाम/अभि0 संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधीक्षण अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	दिलीप कुमार 88119/गोरखपुर 30.06.2022	अधिशासी अभियन्ता, रेस्पो, लखनऊ।	अधीक्षण अभियन्ता, रेस्पो, लखनऊ।
2.	जय कृष्णा 88087/गाजियाबाद 31.07.2022	अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
3.	भूदेव प्रसाद 88038/अलीगढ़ 30.06.2023	अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
4.	विनोद कुमार (पि0जा0) 88141/फर्रुखाबाद 31.08.2023	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-2, चौबेपुर, कानपुर।	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
5.	बनारसी लाल मौर्या(पि0जा0) 88145/बलिया 28.02.2024	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-4, मेरठ।	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3- आबण्टित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

4- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

आज्ञा से,

 (सुबोध कुमार शर्मा)
 उप सचिव